



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228151
CG-DL-E-07072021-228151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943

No. 2522]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2726 (अ).—केंद्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यमन आदेश 2015 के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प के कार्यान्वयन में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम यमन (संशोधन) आदेश, 2021 के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प का कार्यान्वयन है।

(2). यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. यमन आदेश, 2015 के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प के कार्यान्वयन में, अनुसूची में, “2140 समिति द्वारा बनाई गई और रखी गई सूची” शीर्षक में उप शीर्षक क. “व्यक्ति” के अंतर्गत “वाईईआई.006” और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वाईईआई. 006 नाम: 1: सुल्तान 2: सालेह 3: ऐदा ऐदा 4: ज़बीन

नाम: (मूल लिपि): سلطان الح يضة ابن

शीर्षक: उपलब्ध नहीं पदनाम: क) साना, यमन में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), सना स्थित आंतरिक मंत्रालय के निदेशक, या महाप्रबंधक, ख) त्रिगेडियर डीओबी: उपलब्ध नहीं 5 फरवरी 1986 पीओबी: उपलब्ध नहीं रज़ीह

जिला, सादाह गवर्नरिट, यमन सुजात, उर्फ: उपलब्ध नहीं उर्फ: अलप ज्ञात उर्फ: उपलब्ध नहीं क) अबू सकार ज़बीन ख) अबू सागर ज़बीन राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं यमन पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं क) यमन राष्ट्रीय पहचान संख्या: 10010095104, 26 दिसंबर 2013 को जारी ख) यमन सैन्य पहचान संख्या: 20432 (2018 में जारी) पता: उपलब्ध नहीं सना, यमन पर सूचीबद्ध: 25 फरवरी 2021 (5 अप्रैल 2021 को संशोधित) अन्य जानकारी: सुल्तान सालेह एदा ऐदा ज़ाबिन यमन की शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाले कृत्यों में शामिल है, जिसमें यमन में लागू अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन और मानवाधिकारों का हनन भी शामिल है। ज़ाबिन ने राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं के खिलाफ डराने-धमकाने और व्यवस्थित गिरफ्तारी, हिरासत, यातना, यौन हिंसा और बलात्कार की कूटनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सीआईडी के निदेशक के रूप में ज़ाबिन सीधे तौर पर, या अपने प्राधिकार के फलस्वरूप इन हाउस अरैस्ट सहित कई स्थानों अर्थात् पुलिस स्टेशन, औपचारिक बंदीगृह और हिरासत केन्द्रों और अज्ञात हिरासत केन्द्रों में हिरासत के लिए जिम्मेदार और सहअपराधी हैं। इन स्थानों पर, कम से कम एक नाबालिग सहित महिलाओं को जबरन गायब कर दिया गया, बार-बार पूछताछ की गई, बलात्संग किया गया, प्रताड़ित किया गया, समय पर चिकित्सा उपचार से वंचित किया गया और जबरन श्रम कराया गया। ज़ाबिन स्वयं ने कुछ मामलों में सीधे तौर पर प्रताड़ित किया।"

[फा.सं.यू. II/152/01/2015]

प्रकाश गुप्ता, संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक)

पाद टिप्पणी : मूल आदेश अधिसूचना संख्या का. आ. द्वारा 2607(अ), दिनांक 21 सितंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 23 सितंबर, 2015 को प्रकाशित किया गया था और का.आ. 1892 (अ), दिनांक 31 मई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O 2726 (E).— In exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Yemen Order, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Yemen (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Implementation of the United Nations Security Council Resolution on Yemen Order, 2015, in the Schedule, under the heading "the List established and maintained by the 2140 Committee", under the sub-heading "A Individuals", for "Yei.006" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"Yei.006 Name: 1: SULTAN 2: SALEH 3: AIDA AIDA 4: ZABIN

Name: (original script): سلطان صالح عیضة عیضة زابین

Title: na Designation: a) Director, or General Manager, of the Criminal Investigation Department (CID), Sana'a based ministry of interior, in Sana'a, Yemen b) Brigadier DOB: na 5 Feb. 1986 POB: na Razih District, Sa'dah Governorate, Yemen Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na a) Abu Saqar Zabin b) Abu Sagar Zabin Nationality: na Yemen Passport no.: na National identification no.: na a) Yemen national identification number: 10010095104, issued on 26 December 2013 b) Yemen military identification number: 20432 (issued in 2018) Address: na Sana'a, Yemen Listed on: 25 Feb. 2021 (amended on 5 Apr. 2021) Other information: Sultan Saleh Aida Aida Zabin has engaged in acts that threaten the peace, security and stability of Yemen, including violations of applicable international humanitarian law and human rights abuses in Yemen. Zabin has played a prominent role in a policy of intimidation and of use of systematic arrest, detention, torture, sexual violence and rape against politically active women. Zabin as director for CID is directly responsible for, or by virtue of his authority responsible for, and

complicit in the use of multiple places of detention including house arrest, police stations, formal prisons and detention centres and undisclosed detention centres. In these sites, women, including at least one minor, were forcibly disappeared, repeatedly interrogated, raped, tortured, denied timely medical treatment and subjected to forced labour. Zabin himself directly inflicted torture in some cases.”.

[F. No. U.II/152/01/2015]

PRAKASH GUPTA, Jt. Secy. (United Nations Political)

Footnote: The principal order was published *vide* notification number S.O. 2607(E), dated the 21st September, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd September, 2015 and further amended *vide* S.O. 1892 (E), dated the 31st May, 2019.